अध्याय 8

प्रकीर्ण

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

117. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन।

118. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, ''नियत दिन को संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''नियत दिन से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए'' शब्द और अंक रखे जाएंगे तथा 1 फरवरी, 2008 से रखे गए समझे जाएंगे ।

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

119. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में, 1 जून, 2008 से,—

(i) धारा 98 की सारणी में, क्र0 सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
''4	(क) प्रतिभूतियों में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
	(ख) प्रतिभूतियों में विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है	0.125 प्रतिशत	क्रेता
	(ग) प्रतिभूतियों में वायदे सौदा का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता'';

(ii) धारा 99 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(क) प्रतिभूतियों में विकल्प से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की दशा में,—

(i) धारा 98 की सारणी के क्र.सं. 4 के मद (क) में संव्यवहार की बाबत विकल्प प्रीमियम होगा ;

(ii) धारा 98 की सारणी के क्र.सं. 4 के मद (ख) में संव्यवहार की बाबत समझौते की कीमत होगा ;''।

120. वित्त अधिनियम, 2005 में,— 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन।

(i) धारा 95 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् किए गए किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार की बाबत कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रभारित नहीं किया जाएगा ।'';

(ii) सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

———

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 72(i), खंड 72(ii), खंड 84, खंड 117 और खंड 120(ii) के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16